न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–द

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	
	ममता बनाम हुकमचंद मु.नं.– 36/25 किस्म – दावा रू न्यायालय में प्रस्तुत करे। तहसीलदार मण्डावर को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.12.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
	2.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.12.25 को पेश हो।
	18.12.25 अभिभाषकों द्वारा अभिभाषक संघ चुनाव 2025 के मद्देनजर न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.12.25 को पेश हो।
मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट कोई आपत्ति नहीं है 18/12/25	18.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। तहसीलदार मण्डावर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली वास्ते आदेश अंतिम डिक्री दिनांक 08.1.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
	08.1.26 पत्रावली पेश हुई। वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ममता बनाम कमला मु.नं.– 36/25 किस्म – दावा	
है। तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय एवं डिक्री के खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसील दार मण्डावर को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। अमित कुमार वर्मा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारीः अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36/2025	01.04.2025	09.10.2025

बउनवान

1. ममता देवी पत्नी श्री राम कुमार, निवासी दूंधपूरी काली पहाडी, खोह दरीबा, तहसील राजगढ जिला अलवर।

..वादिया

बनाम

1. कमला देवी पत्नी राधाकिशन, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. छोटी देवी पत्नी किशनलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. खैराती पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. राधाकिशन पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. छोटेलाल पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. मुन्नी देवी पुत्री स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. कैलाश पुत्र रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. राजू पुत्र रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. मीरा पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. सन्तरा पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. लाली पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. शीला पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादिया – श्री प्रीतमचन्द सैनी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी व्यादेश अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. वादिया की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन एवं स्थायी व्यादेश प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता सं. 158 के खसरा सं. 195 रकबा 0.15 हैक्टे., 196 रकबा 0.15 हैक्टे., 228 रकबा 0.44 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टे. वाकै ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात में वादिया का 2/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में हिस्सानुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में डोल मेढ को लेकर विवाद होते रहते है जिस कारण वादिया ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का तहसील कार्यालय मण्डावर में चलकर कानूनी बंटवारा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया एवं वादिया को धमकी दी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की हम उक्त भूमि का बंटवारा नहीं करायेंगे। दिनांक 28.03.2025 को वादिया अपने खेत की देखभाल करने के लिये गांव से नांगल सुमेरसिंह आयी तो उसने देखा कि प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के खेत की डोलमेढ को तोडकर अपने खेतों में मिला लिया है। तब वादिया ने प्रतिवादीगण से कहा कि आप इस प्रकार हमारी जमीन की डोल मेढ को क्यों तोडते हो। यदि आपके मन में कोई वहम है तो मण्डावर तहसील कार्यालय में चलकर उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवा लेते हैं तो इस पर सभी प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये। वादिया से ऐलानिया कहने लगे कि हम कहीं भी नहीं जायेगें एवं ना ही उक्त भूमि का बंटवारा करवायेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादिया अपनी खातेदारी की भूमि से महरूम हो जावेगा जिससे वादिया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण की उक्त धमकी के कारण दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी आया है। विनाय दावा दिनांक 28.03.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की खातेदारी भूमि का कानूनी तकास्मा कराने से साफ इंकार करने के कारण बमुकाम नांगल सुमेर सिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में उत्पन्न हुआ है। खातेदार रेवड़्या पुत्र मूला व रामजीलाल पुत्र मूला की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 को पक्षकार मुकदमा बनाये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 13 राज. सरकार के विधिक प्रतिनिधि होने के कारण इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा है जिनके विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक था लेकिन दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण उन्हें नोटिस न दिया जाकर धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र बाबत् इजाजत पेश किये जाना दावा अलग से प्रस्तुत है। सकूनत फरीकेन व पैदा होने विनाय दावा श्रीमान को दावा सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दावा बाबत तकास्मा बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 प्रिलिमिनरी डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का क़ब्जे एवं हिस्सानुसार तकास्मा किया जावे तथा रंग भरकर अलग खाता कम लगान कायम किया जावे। इस अनुसार तहसीलदार मण्डावर से कुर्रे रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच बंटवारा स्कीम अन्तिम रूप से डिक्री फरमाया जावे। दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण वादिया कब्जे काश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें एवं वादिया को उसका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। खर्चा मुकदमा वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई दादरसी जो बहक वादिया हो वह भी अता फरमाई जावे।

2. वदिया का वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावा नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

3. वादिया की ओर से स्वयं वादिया ममता देवी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुई। इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को लिखा गया तथा वादपत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

के समर्थन में विवादित आराजीयात ग्राम नांगल सुमेरसिंह की जमाबंदी संवत् 2074–2077 प्रदर्श–1 की।

4. दावा में विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादिया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वादपत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया। वादपत्र के जरिये चाहे गए अनुतोष बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 में प्रावधान है कि :

53. जोत का विभाजन *– (2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा–*

(i) सह अभिधारियों के बीच,

(क) जोत के ऐसे विभाजन; और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा; या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगाने के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

(4) किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में, सभी सह–अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाये जायेंगे।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों।

188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश– *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।*

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थात:–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. विवादित आराजीयात वादिया तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 की संयुक्त अविभाजित आराजीयात है। विवादित आराजीयात में वादिया का हिस्सा क्रमशः 2/5 है। उक्त आराजीयात का अभी तक तकास्मा नहीं हुआ है। वादिया अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि काश्त कर मुफीद होती चली आ रही है। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजीयात का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधान के अन्तर्गत मीट्स एवं बाउण्ड्स (Metes and Bounds) के आधार पर विभाजन किया जाना उचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत सहखातेदार के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

6. वादिया का वादपत्र प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावर को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 195 रकबा 0.15 हैक्टे., 196 रकबा 0.15 हैक्टे., 228 रकबा 0.44 हैक्टे., कुल किता 03, कुल रकबा 0.74 हैक्टे. का वादिया एवं जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों के मध्य, हिस्से तथा मौके पर कब्जे अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में, मीट्स एवं बाउण्ड्स (Metes and Bounds) के आधार पर, प्रत्येक सहखातेदार के लिये पहुँच मार्ग का निर्धारण करते हुए विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खातेदारों की मौके पर मौजूदगी बाबत् उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया जावे जिसमें दिनांक व समय का स्पष्ट अंकन किया जावे। प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **ममता देवी बनाम कमला वगै.**

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी व्यादेश अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा न. **36/2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री प्रीतम चन्द सैनी, विद्वान एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर ग्राम नांगल सुमेर सिंह, तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 195 रकबा 0.15 हैक्टे., 196 रकबा 0.15 हैक्टे., 228 रकबा 0.44 हैक्टे., कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टे. का वादिया एवं जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों के मध्य, हिस्से तथा मौके पर कब्जे अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में, मीट्स एवं बाउण्ड्स (Metes and Bounds) के आधार पर, प्रत्येक सहखातेदार के लिये पहुँच मार्ग का निर्धारण करते हुए विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खातेदारों की मौके पर मौजूदगी बाबत् उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया जावे जिसमें दिनांक व समय का स्पष्ट अंकन किया जावे।

यह प्राथमिक डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09.10.2025 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा...			बबत इजराय हुकमनामा .		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36/2025	01.04.2025	08.01.2026

बउनवान

1. ममता देवी पत्नी श्री राम कुमार, निवासी दूंधपूरी काली पहाडी, खोह दरीबा तहसील राजगढ जिला अलवर।

...वादिया

बनाम

1. कमला देवी पत्नी राधाकिशन, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
2. छोटी देवी पत्नी किशनलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
3. खैराती पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
4. राधाकिशन पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
5. छोटेलाल पुत्र स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
6. मुन्नी देवी पुत्री स्व. रेवड्या, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
7. कैलाश पुत्र रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
8. राजू पुत्र रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
9. मीरा पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
10. सन्तरा पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
11. लाली पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
12. शीला पुत्री रामजीलाल, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर ,दौसा।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादी – श्री प्रीतमचन्द सैनी।

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादिया की ओर से प्रस्तुत दावा में दिनांक 09.10.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मण्डावर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.12.2025 प्राप्त हुआ जिस पर अभिभाषक वादिया ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इसलिए दावा वादी, विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे.(हैक्टे.)
1.	ममता देवी पत्नी रामकुंवार हि. पूर्ण जाति बलाई सा. दूधपूरी कालीपहाडी खातेदार	228/1	0.2960
		किता 01	0.2960
2.	रेवडया पुत्र मूला हि. 1/3 रामजीलाल पुत्र मूला हि. 1/3 जाति रेगर कमला देवी पत्नी राधाकिशन हि. 1/6 जाति रेगर छोटी देवी पत्नी किशनलाल हि.1/6 जाति बैरवा सा.देह खातेदार	228/2 195 196	0.1440 0.1500 0.1500
		किता 03	0.4440

2. तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक निर्णय व डिक्री के खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी करें।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

3. निर्णय दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र संख्या 36/2026 OCMS No. 2025/97
ममता देवी बनाम कमला वगै.
अंतिम निर्णय दिनांक 08.01.2026

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **ममता देवी बनाम कमला वगै.**

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 36/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री प्रीतम चन्द सैनी, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 195 रकबा 0.15 हैक्टे., 196 रकबा 0.15 हैक्टे., 228 रकबा 0.44 हैक्टे., कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल सुमेर सिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा का खाता विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है –

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे.(हैक्टे.)
1.	ममता देवी पत्नी रामकुंवार हि. पूर्ण जाति बलाई सा. दूधपूरी कालीपहाडी खातेदार	228/1	0.2960
		किता 01	0.2960
2.	रेवडया पुत्र मूला हि. 1/3 रामजीलाल पुत्र मूला हि. 1/3 जाति रेगर कमला देवी पत्नी राधाकिशन हि. 1/6 जाति रेगर छोटी देवी पत्नी किशनलाल हि.1/6 जाति बैरवा सा.देह खातेदार	228/2	0.1440
		195	0.1500
		196	0.1500
		किता 03	0.4440

नोट – जिस खातेदार की भूमि बैंक में रहन है, उस भूमि का ऋण अदायगी तक रहन का अंकन यथावत रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08.01.2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र संख्या 36/2025 GCMS No.2025/97
ममता देवी बनाम कमला वगै.
अंतिम निर्णय दिनांक 08.01.2026

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	—	—	स्टाम्प अरजीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा......			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)